

I/426923/2023

संख्या 95 /2023/ 3620/26-3-2023/C.N.-1396097

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक/० नवम्बर, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9-10) में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-3514/स०क०/ शिक्षा-अ/2/597/2023-24 दिनांक 06.11.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9-10) में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु प्रस्तावित संशोधित समय-सारिणी जारी करने के लिए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र दिनांक 21.08.2023 पत्र दिनांक 10.10.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत समय सारिणी जारी की गयी है।

3- वरिष्ठ निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान सत्र में नियमावली की व्यवस्थानुसार पोर्टल में कई नवीन प्रक्रियाओं के तहत पोर्टल पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार कई नवीन विकास किये जाने हैं:-

- 1- आवेदन में एन०पी०सी०आई० की ए०पी०आई० की इंटीग्रेशन।
- 2- विभिन्न स्तरों पर लॉग का मेनटेन करना।
- 3- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी व अन्य का डिजीलॉकर के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण आटोफेच किया जाना।
- 4- डी०एस०सी० रिसेट होने पर स्वतः उक्त विवरण भी रिसेट होना।
- 5- नोडल अधिकारी आदि की डी०एस०सी० किसी अन्य संस्था में प्रयोग न होने की व्यवस्था पोर्टल में करना।
- 6- छात्रों का व्यक्तिगत विवरण को डिजीलॉकर के माध्यम से आटोफेच किया जाना।
- 7- कई स्तर पर घोषित परीक्षाफल व अन्य विवरण को डिजीलॉकर के माध्यम से आटोफेच करना।
- 8- नवीन एवं नवीनीकरण छात्रों का डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन एवं ओ०टी०पी० सत्यापन की व्यवस्था करना।
- 9- विश्वविद्यालय/संस्था आदि के स्तर पर मास्टर डाटा रिसेट हेतु विकल्प दिया जाना।
- 10- विश्वविद्यालय आदि स्तर से सत्यापन के उपरांत छात्रों की लागिन पर प्रीशिप कार्ड की व्यवस्था करना तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति का एस०एम०एस० व ई-मेल भेजने की व्यवस्था करना।
- 11- समुचित एवं ससमय तकनीकी मैनपावर की व्यवस्था न हो पाना।

I/426923/2023

4- नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार पोर्टल का समुचित विकास एवं आवेदन के अन्तर्गत कई नवीन पेज के निर्माण, सिक्योरिटी आडिट के उपरांत पेज को पब्लिश करना व दिन-प्रतिदिन उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण में समय लगेगा। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष छात्रवृत्ति योजना की नियमावली के अन्तर्गत कई वृहद संशोधन किये गये हैं। पोर्टल को एन0पी0सी0आई0 व डिजीलीकॉर से इंटीग्रेट कराया गया है, जिसके क्रम में एन0आई0सी0 स्तर पर उक्त कार्यों के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय लगा है। आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का फ्लो चार्ट/प्रोसेस फ्लो तकनीकी मैनुअल की व्यवस्था निक्सी के माध्यम से कराकर एन0आई0सी0 को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त कारणों से हुए विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों के हित में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संशोधित समय-सारिणी का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो निम्नवत है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
1	2	3
मास्टर डाटा		
1	विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थाएँ) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनाएँ भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	09 नवम्बर 2023 से 17 नवम्बर, 2023 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	09 नवम्बर 2023 से 05 दिसम्बर, 2023 तक
कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया		
3	छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	15 सितम्बर 2023 से 08 दिसम्बर 2023 तक
4	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	11 दिसम्बर 2023 तक
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	18 सितम्बर 2023 से 15 दिसम्बर 2023 तक।
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन	21 नवम्बर 2023 से 30 दिसम्बर 2023 तक।

426923/2023

	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
8	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	09 फरवरी, 2024 तक
भुगतान की प्रक्रिया		
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	18 दिसम्बर 2023 से 27 दिसम्बर 2023 तक
10	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिण पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	28 दिसम्बर 2023 से 05 जनवरी 2024 तक
11	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलम्बतम 08 जनवरी 2024 तक
12	संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	29 दिसम्बर 2023 से 11 जनवरी, 2024 तक
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिण पर प्रदर्शित किया जाना।	12 जनवरी, 2024 से 19 जनवरी, 2024 तक
14	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	28 दिसम्बर 2023 से 19 फरवरी 2024 तक
15	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	23 फरवरी, 2024 तक
16	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	01 मार्च, 2024 तक

17	अनुसूचित जाति के छात्रों को 60 प्रतिशत केन्द्रांश भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना।	08 मार्च, 2024 तक
----	--	-------------------

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)

Signed by रजनीश चन्द्र

Date: 10-11-2023 17:12:17

Reason: Approved

प्र0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)

विशेष सचिव।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश

पत्रांक:- C-3599/स0क/शिक्षा-अ/6/597/2023-24, लखनऊ: दिनांक 10 नवम्बर 2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संशोधित समय सारिणी के शासनादेश संख्या-95/2023/3620/26-3-2023/C.N.-1396097 दिनांक 10-11-2023 की प्रति छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 5- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 6- समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समयान्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

10.11.2023
(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक
कृते निदेशक।